

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018

【पॉलिटेक्निक (अभियंत्रण) / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)】

- बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक-200 दिनांक 02.02.2001 के अनुसार बिहार राज्य के अन्तर्गत पोलिटेक्निक संस्थानों के विभिन्न अभियन्त्रण तथा पत्रांक-वि.प्रा.(II) वृ/32/2014/2985 दिनांक 24.12.2014 / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पोलिटेक्निक अभियन्त्रण (PPE) पाद्यक्रमों और पत्रांक-वि.प्रा.(II) छात्र-03/2008/3226 दिनांक 29.11.2010 एवं पत्रांक-वि.प्रा.(II) वृ/32/2014/2881 दिनांक 12.12.2014 तथा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक 37(26)/स्वा. दिनांक 04.02.2000 के अनुसार बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों के विभिन्न पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल (इंटर्मीडिएट स्तरीय) पाद्यक्रमों में नामांकन के लिये चयन हेतु डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यंत द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

२ पाठ्यक्रम-संपह :

2.1 पॉलिलेक्ट्रिक (अभियन्त्रण) पारदर्शक समूह (PE) :

इस समूह में पॉलिटेक्निक संस्थाओं के सभी अभियन्त्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PF** होगा।

22 पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण समूह (PPE) :

इस समूह में चयनित पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्धारित अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम समिलित हैं। इसका कोड **PPE** होगा।

2.3 पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD):

इस समूह में पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PMD** होगा।

2.4 पारा मेडिकल (इंटरपीडिएट स्टरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM):

इस समूह में सभी पारा मेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PM** होगा।

३. संस्थान / साहित्यकाम / उत्तरवादी मीडिया

विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए संस्थानों/ पाठ्यक्रमों/ उपलब्ध सीरीज़ों के विवरण निम्नलिखित सापेक्षियों में उपलब्ध हैं।

<u>पाठ्यक्रम संख्या</u>	<u>सारणी सं.</u>	<u>परिशिष्ट सं.</u>
i. पॉलिटेक्निक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय)	1.1	1
ii. पार्ट टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय)	1.2	1
iii. पारा मेडिकल-डैन्टल (माध्यमिक स्तरीय)	2.1	2

- iv. पारा मेडिकल
(इंटरमीडिएट स्तरीय) 3.1A, 3.1B, 3.1C 3
पर्व 3.2

बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की शिक्षा, सीटों की संख्या में फेर बदल होने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दी जायेगी। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपलब्ध सीटों पर राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच अंतिम निर्णय के पश्चात ही नामांकन प्रक्रिया परी की जायेगी।

4. पॉलिटेक्निक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अहंतायें तथा वांछित योग्यतायें :

4.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (तीन वर्षीय) |

शैक्षणिक योग्यता : (क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष दसवीं की परीक्षा, कम-से-कम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण। (ख) जो आवेदक वर्ष 2018 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस परीक्षा के आधार पर नामांकन की तिथि तक उनका उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र मँगा जा सकता है।

नोट : विज्ञान एवं प्राकृतिकी विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी आधातशिप (AICTE) के अन्य बन्धेज लागू किया जा सकता है।

42

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत वर्ष के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम-से-कम एक आवासीय श्रेणी के संतर्गन आते हैं।

- (i) जिनके माता/पिता बिहार के स्थायी / मूल निवासी हैं।
 - (ii) जिनके माता/पिता बिहार में निर्बन्धित शारणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।
 - (iii) जिनके माता/पिता बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।
 - (iv) जिनके माता/पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हैं।
 - (v) जिनके माता/पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं।

43

प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की डॉक्टरी जाँच करायी जायगी। भौद्धिकल जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

44

आयु :- अधिकारी का वय सम्मुखीकृत नहीं है।
अभियंत्रण पाद्यक्रम समूह के लिए आवेदकों की कोई अधिकतम या न्यूनतम आय सीमा नहीं है।

5.

पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण समूह (PPE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

5.1

शैक्षणिक :-**पाठ्यक्रम :** अभियंत्रण (चार वर्षीय)।

(क)

शैक्षणिक योग्यता / कार्य अनुभव :

10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता के साथ दो वर्षीय आई.टी.आई. पास।

अथवा

10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी निर्बंधित फर्म / कम्पनी / उद्योग / शैक्षणिक संस्थान तथा सरकारी / गैर सरकारी, स्वशासी निकायों से नामांकन हेतु आवेदित संकाय से संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव।

(ख)

नामांकन संस्थान (नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक, पटना-13) से 50 कि.मी. परिधि क्षेत्र में अवस्थित सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / गैर सरकारी उद्योगों / संगठनों में तकनीकी पर्यावरण क्षेत्र में तकनीकी पद पर कार्यरत पुरुष एवं महिला कम्मी ही इस पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग)

उपरोक्त कड़िका 5.1(क) एवं 5.1(ख) के अनुसार वांछित पात्रता-प्राप्त अध्यर्थियों को सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / गैर सरकारी उद्योगों / संगठनों के प्राधिकृत प्रधान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें सम्बन्धित संगठन में अध्यर्थी के कार्यरत रहने की अवधि, कार्य अनुभव का विवरण एवं चार वर्षीय अभियन्त्रण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रायोजित (Sponsored) करने का उल्लेख होना आवश्यक है।

5.2

आवासीय :-

कड़िका 4.2 के समान।

5.3

शारीरिक :-

कड़िका 4.3 के समान।

5.4

आयु :-

पार्ट-टाइम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण समूह (PPE) के लिये आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2018 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए।

6.

पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) के लिए अहतायें तथा वांछित योग्यतायें।

6.1

शैक्षणिक :-**पाठ्यक्रम :** डेंसर (परिधापक)।

शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक परीक्षा / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से दसवीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। जो आवेदक वर्ष 2018 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6.2

आवासीय :-

कड़िका 4.2 के समान।

6.3

शारीरिक :-

कड़िका 4.3 के समान।

6.4

आयु :-

पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उपर के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कार्ड अभिलेख मात्र नहीं होगा।

7.

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अहतायें तथा वांछित योग्यतायें।

7.1

शैक्षणिक :-**पाठ्यक्रम :**

- (i) डिप्लोमा-इन-फार्मेसी (भारतीय मैषज्य परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में होना चाहिये।

4

नामांकन किया जायेगा।

- (ii) सैनिटरी इन्सपेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक)।
- (iii) आफैथेलमिक असिस्टेंट (चक्षु सहायक)।
- (iv) ओ.टी. असिस्टेंट (शल्य गृह सहायक)।
- (v) लैबोरेट्री टेक्नीशियन (प्रयोगशाला प्रावैधिक)।
- (vi) एक्स-रे टेक्नीशियन (एक्स-रे प्रावैधिक)।
- (vii) अर्स्थोटिक एवं प्रीस्थोटिक सहायक।
- (viii) स्टाफ ग्रेड 'ए' नर्सिंग कोर्स (केवल महिलाओं के लिये)।
- (ix) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स (केवल महिलाओं के लिए)।
- (x) डेन्टल मैकेनिक्स।
- (xi) डेन्टल हाइजिनिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता : (क) डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इन्टरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण।

(ख) (i) जी.एन.एम. (यैड-ए) जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी) कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिये 10+2 / 12th विज्ञान विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में कम-से-कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के माथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी।

(ii) जिन अध्यर्थियों ने 10+2 / इन्टरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग क्राउनिस्ल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जी.एन.एम. नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(iii) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अध्यर्थी जिन्होंने 10+2 / इन्टरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(ग) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10+2 / इन्टरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ए.एन.एम. कोर्स के लिए 10+2 / इन्टरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए।

(घ) शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक + 2 इन्टरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

(ङ) डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाईजिनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50 % अंक के साथ 10+2 / इन्टरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण।

(च) जो आवेदक वर्ष 2018 की 10+2 / इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्राप्तता प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आवासीय :-

कड़िका 4.2 के समान।

शारीरिक :-

कड़िका 4.3 के समान।

आयु :-

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिये। जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग

कॉउन्सेल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उपर के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

7.5

स्टाफ ग्रेड-ए नसिंग पाद्यक्रम एवं एन.एम.नसिंग पाद्यक्रम केवल महिलाओं के लिये आरक्षित है। इस पाद्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार के नामांकन के समय, गर्भवती होने की स्थिति में उनका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन वे तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य नहीं होगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भवस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य होंगी। उन्हें सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा। ऐसी उम्मीदवार निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगी।

8

आरक्षण :

8.1

नामांकन हेतु चयन एवं तदुपरान्त प्रवेश के लिये बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

8.2 (क)

जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी / मूल निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत है :-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें Girls: RCG	3 %

शेष 50 % अनारक्षित सीटें अनारक्षित कोटि (UR) की समझी जायेंगी।

(ख) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में कॉर्डिका 9.2 (क) में कर्णाक्षित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 11/आ०-विवि०-50/ 2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्र नहीं होंगे।

8.3

आवेदन-पत्र ऑन लाईन Submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।

8.4 (i)

आरक्षित वर्ग के बैसे अध्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल

पाद्यक्रय / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाद्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकता।

(ii) इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / मानवीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

8.5

दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

(i) दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 4 (चार) प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

(ii) इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण- प्रावधान लागू होगा।

(iii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि.प्रा.(ii) नामांकन-01/2015-1675 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक, सहरसा, राजकीय पॉलिटेक्निक, गोपालगंज एवं नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक, पटना-13 में दिव्यांग अभ्यर्थीयों के लिए 25 सीटें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हैं। जो उक्त संस्थानों के निर्धारित शाखाओं में समान रूप से वितरित होंगे।

8.5.1

दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र / कंप्यूटर फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वाचित प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रामाणित फूल साइंज का फोटो चिपका होना चाहिये।

दिव्यांग कोटि के बैसे अभ्यर्थी जो Permanent loss of limbs या Cerebral palsy से प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें अँग लाइन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।

8.5.2

दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक उन्होंना पाद्यक्रमों में से किसी एक पाद्यक्रम का चयन कर सकते जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाद्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा।

[देखें परिशिष्ट-4(i) एवं 4(ii)]

8.5.3

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 948 दिनांक 17.04.2012 द्वारा संसूचित AICTE (अभातशिप) की "शिक्षण शुल्क छूट" योजना के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थीयों के माता/ पिता (जिनके माता-पिता जीवित न हो उनके लिए अभिभावक) की वार्षिक आय रु.4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) से कम हो उनके लिए डिप्लोमा संस्थानों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5% अतिरिक्त सीटें पर नामांकन का प्रावधान है।

9.

सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटेक्निक अभियंत्रण एवं गैर अभियंत्रण पाद्यक्रम समूहों के लिए आरक्षित सीटें।

9.1

बिहार राज्य निवासी संवारत / संवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक पॉलिटेक्निक

संस्थान में सीटें (सर्विसमैन कोटा) आरक्षित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1647 दिनांक 08.06.2010 की कांडिका 3.(iii) को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 4.(iii) में देखें।

9.2 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर नामांकन सिर्फ बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को ही दी जाएगी।

9.3 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए आवेदकों द्वारा पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। उपर्युक्त अहंता वाले छात्रों के अभाव में ये सीटें खाली रहेंगी।

9.4 सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसेलिंग के समय प्रस्तुत करना प्रादेशात्मक (Mandatory) है।

(क) सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों के लिये :

(i) जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र।

(ii) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सेवारत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों के लिए) या जिला सैनिक पर्षद (डिस्ट्रिक्ट सोलजस बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए)।

(iii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

(i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :

- (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
- (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
- (c) Family Pension Holders.
- (d) Gallantry Award Winners.

10. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : मुख्य तिथियाँ/ प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर :-

10.1 डी.सी.ई.सी.ई.-2018 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

- (i) Online Registration Starting Date : 16.03.2018
- (ii) Online Registration Closing Date : 06.04.2018.(11:59 P.M.)
- (iii) Last date of payment through Challan after submission of Online Application form of Registered candidate : 10.04.2018 (Upto Banking hour).
- (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card after submission of the Online Application Form of Registered Candidate : 15.04.2018 (11:59 P.M.)
- (v) Online Editing of Application Form : 17.04.2018 to 23.04.2018 (11:59 P.M.)
- (vi) Issue of Online Admit Card : 02.05.2018
- (viii) **Proposed date of Examination:**

(I) PM एवं PMD : 12.05.2018 (सानिकार)

(II) PE एवं PPE : 13.05.2018 (रक्तिकार)

10.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार दें। उत्तर पत्रक का नमूना (Sample OMR Type Asnwer Sheet) तथा सम्बन्धित निर्देश अध्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है।

10.3 परीक्षा के त्रैम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले वॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तालिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

10.4 पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा की तिथि एवं अवधि / परीक्षा स्तर :

पॉलिटेक्निक अभियंत्रण PE, पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण समूह PPE का सम्मिलित एक प्रश्न पत्र एवं पारा मेडिकल-डेन्टल PMD - (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल PM , (इंटरमीडिएट स्तरीय) समूहों के लिये अलग अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रवेश सत्र-2018 में नामांकन हेतु सम्बन्धित होंगे।

पाठ्यक्रम-समूहवार प्रश्न- पत्र एवं परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं-

(i) प्रश्न पत्र - अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह (PE) एवं पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण समूह (PPE) :

तिथि 13.05.2018 प्रथम पाली (11.00 a.m. to 1.15 p.m.)

अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	30	150
रसायन विज्ञान	30	150
गणित	30	150

90 450


(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय)

परिशिष्ट- 1

सारणी-1.1 :- राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी (सत्र 2017 के आधार पर)।

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शाखा का नाम	सीटों की संख्या		अतिरिक्त सीटें (कूल सीटों में सम्मिलित)
			कूल सीटें	सैनिक कोटा	
1.	नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक, पटना-13	असैनिक अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण (ऑटोमोबाइल) कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60+5* 60 60+5* 60+5* 30 60+10	1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 2 3
2.	राजकीय पॉलिटेक्निक, पटना-7	असैनिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण कोमिकल इंजि. (सिरामिक्स अभियंत्रण) इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण टेक्सटाइल इंजी. मेकेनिकल इंजि. (प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी) कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60 60 60 30 60 30 30 30 60	1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 2 3 2 1 3
3.	राजकीय पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर	असैनिक अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण	60 60 60 60 60	1 1 1 1 1	3 3 3 3 3
4.	राजकीय पॉलिटेक्निक, भागलपुर	असैनिक अभियंत्रण कृषि अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण टेक्सटाइल अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60 30 60 30 60	1 1 1 1 1	3 2 3 1 3
5.	राजकीय पॉलिटेक्निक, सहरसा	असैनिक अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60+5* 60 60+5* 60+10 60+5*	1 1 1 1 1	3 3 3 3 3
6.	राजकीय पॉलिटेक्निक, गया	असैनिक अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60 60 60 60+5*	1 1 1 1	3 3 3 3
7.	राजकीय पॉलिटेक्निक, दरभंगा	असैनिक अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60 60 60 60 60	1 1 1 1 1	3 3 3 3 3
8.	राजकीय पॉलिटेक्निक, बरौनी	असैनिक अभियंत्रण कोमिकल अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण असैनिक अभियंत्रण कैमिकल अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60 30 60 60 60 60 60 60	1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 3 3 3 3 3 3



परिशिष्ट-4 (ii)

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अहता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ०नी०-१-०६/२०१७ सा०प्र०-१३०६२, पटना दिनांक १२.१०.२०१७ के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अध्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-११/आ०नी०-१-०६/२०१७ सा०प्र० १३०६२ पटना दिनांक १२.१०.२०१७ में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
 2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
 3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कॉडिका-V)
 4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विकल्प तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।
-

परिशिष्ट-4 (iii)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

बिहार (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पॉलिटेक्निक में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं 412, दि 0 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था। इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों/ आश्रित सहोदर माझों/ आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों/ आश्रित भतीजों तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है।

2. उपर्युक्त प्रासारिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है। इसके अलावा प्रासारिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की नियंत्रित होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पॉलिटेक्निक संस्थान के मामले में सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभावशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सार्विधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न नियंत्रण लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हों।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा। सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी। अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के उप सचिव